न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 161 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. अमराराम पुत्र मूलाराम 2. चेनाराम पुत्र दरगाराम 3. ढपादेवी पत्नी मूलाराम 4. फूसीदेवी पत्नी दरगाराम 5. बीजाराम पुत्र मूलाराम 6. लीलूदेवी पत्नी रतनाराम 7. सवाराम पुत्र परागाराम 8. हरचंदराम पुत्र मूलाराम 9. हेमाराम पुत्र सवाराम जातियान रबारी निवासीयान परिहारों की ढाणी, पटवार हल्का पऊ तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. जबरजी पुत्र करण जी जाति राजपूत निवासी परिहारों की ढाणी, तहसील सिवाणा जिला बाड़मेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाणा 3. जोगाराम पुत्र बीजाराम 4. बीजाराम पुत्र शंकरराम जातियान भील निवासी आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 5. छेलसिंह पुत्र मानसिंह 6. जमतसिंह पुत्र मानसिंह 7. मंगलसिंह पुत्र मानसिंह 8. हड़मतसिंह पुत्र मानसिंह जातियान राजपूत निवासीयान परिहारों की ढाणी, तहसील सिवाणा जिला बाड़मेर 9. आरिफखा पुत्र कालूखा 10. आविदखा पुत्र कालूखां 11. मुस्ताकखा पुत्र कालूखां 12. श्रीमती सुगराबानो पत्नी कालूखां जातियान मुसलमान निवासीयान मिठोड़ा तहसील सिवाणा जिला बाड़मेर 13. श्रीमान शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कृर्षि विकास शाखा सिवाणा 14. श्रीमान शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास शाखा सिवाणा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिवाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 54 / 2022 बउनवान जबरजी बनाम अमराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी उतरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—22.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता जबरजी ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा परिहारों की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 851/599 रकबा 09.7529 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत 683/528 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 09 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 718/528 रकबा 02.9137 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 10 व 11 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 525 रकबा 0.7123 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526 रकबा 03.6260 हैक्टेयर व खसरा संख्या 527 रकबा 04.0874 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 12 से 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 522 रकबा 06.3131 हैक्टेयर व खसरा संख्या 600/521 रकबा 0.5584 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 16 से 19 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 855/532 रकबा 0.1458 हैक्टेयर में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त रास्ता न केवल प्रार्थी के लिए बल्कि सड़क मार्ग और प्रार्थी के खेत के मध्य पड़ने वाले विप्रार्थीगण के खातेदारी खेतों तक आने जाने के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.06.2022 में रेस्पोडेंट संख्या 10 ता 19 का इकबालिया जबाव प्रस्तुत किया, आदेशिका में आया हुआ है लेकिन पत्रावली पर कोई इकबालिया जबाव पेश नहीं हुआ है। अपीलांटगण को भू–अभिलेख निरीक्षक पादरू द्वारा दिनांक 31.08.2022 को नोटिस दिया गया कि दिनांक 01.08.2022 को आपके खातेदारी भूमि में रास्ता निकालेंगे व आप मौके पर उपस्थित रहे। इस प्रकार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2022 को नोटिस देना व दिनांक 01.08.2022 को मौके पर उपस्थित रहना संभव नहीं है। मातहत अदालत के समक्ष सहमति व स्वीकृति प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.05.2022 को नोटेरी से तस्दीक शुदा पत्र पेश अवश्य हुआ है, मगर इस सहमति पत्र को किसने पेश किया यह अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय की आदेशिका में नहीं है। अगर खातेदार अदालत में हाजिर होकर इकबालिया जबाव पेश करें और अदालत में उपस्थित होकर उपस्थिती दे तथा तस्दीक शुदा सहमति पत्र जरिये वकील पेश करने पर ही जबाव दावा रेकर्ड पर लिया जा सकता है। अदालत श्री में दिनांक 17.05.2022 को रास्ता बाबत प्रार्थना–पत्र पेश हुआ (तारीख 10.05.2022 को अदालत में प्रार्थना–पत्र पेश नहीं था) उपखण्ड अधिकारी सिवाना के नाम प्रार्थीगण जबरजी बनाम विप्रार्थीगण अमरा जी वगैरा का सहमति पत्र तारीख 10.05.2022 बन नहीं सकता है, क्योंकि तब तक न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाने बाबत श्रीमान तहसीलदार सिवाना को कोई आदेश जारी नहीं किया गया व न ही इस बाबात कोई आदेश की प्रतिलिपी आदेशिका पर उपलब्ध है। उत्तरदातागण/प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 851/599 रेस्पोडेंट का है उसके पड़ौस में खसरा संख्या 852/599 सगे भाई का है जिसमें आने जाने का रास्ता दोनों भाईयों के खातेदारी खेत में बीच में से उपलब्ध है, जो खसरा संख्या 516 में से होकर जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना–पत्र पेश किया है वह बहुत ही लम्बा रास्ता है। उत्तरदाता आने जाने के लिये मुड़िया रोड़ से सीधा अपने खेत में आवागमन करता है। रेस्पोडेंट को अपने खेत में आवागमन करने के लिये रास्ता उपलब्ध है। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। रास्ते के प्रकरणों में आवेदन पेश करने से पूर्व ही सहमति का प्रयास किया जाता है इसलिए नोटेरी सुदा सहमति पत्र आवेदन पेश करने से पूर्व की प्रक्रिया है। अपीलांटस के अलावा कोई भी पक्षकार अपीलाधीन आदेश से असंतुष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अपीलांटस अकेले की खातेदारी तक नहीं जाकर अन्य विप्रार्थीगण को भी उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.06.2022 में विप्रार्थी संख्या 10 ता 19 द्वारा इकबाली जबाब प्रस्तुत करने का अंकन है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कुल 52 पृष्ठ हैं जिसमें इकबाली जबाव दावा उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किये गये तथा न ही पत्रावली पर मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत कोई तहरीर की प्रति है उसके बावजूद तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट क्रमांक 765, दिनांक 04.08.2022 तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो विधि विरूद्ध कृत्य है। मौका रिपार्ट दिनांक 04.08.2022 को प्रेषित करने वाले तत्कालीन तहसीलदार सिवाणा, भू अभिलेख निरीक्षक, पादरू एवं पटवारी पंऊ को हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में न्यायालय आदेश के बिना किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपनी तरफ से तैयार कर न्यायालय में पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा करने हेतु पेश नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक सहमति व स्वीकृति प्रार्थना–पत्र उपलब्ध है जिस पर किसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण नहीं है। अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त सहमति पत्र कब पेश किया गया तथा किसने पेश किया आदेशिका में कोई हवाला नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सम्यक सूचना नहीं दी गई। अपीलांट की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुपस्थिति में मौका देखा गया। जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत अपील में अपीलांटस द्वारा खसरा संख्या 852/599 प्रार्थी के सगे भाई का होना अंकित किया हैं जिसमें आने जाने का रास्ता दोनों भाईयों के खातेदारी खेत के बीच में से उपलब्ध है जो खसरा संख्या 516 में से होकर जाता हैं। उक्त तथ्य की जांच नहीं करवाई गई। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 54/2022 बउनवान जबरजी बनाम अमराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटस को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर अपील में बताये वैकल्पिक रास्ते (खसरा संख्या 852/599 व 516 में से निकटतम विकल्प) का अवलोकन करते हुए प्रार्थी जबरजी के खसरा संख्या 851/599 से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता प्रस्तावित कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

22/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर